Maly
3/8/18

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर, जिला बीकानेर

सरकार सरकार बनाम श्री कानाराम S/o हरमाराम जाट
नि. धरनाली

विषय मुकदमा — ~~आर.टी.ए. 1954 की धारा 22~~
~~एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91~~ 91

मुकदमा नम्बर 03/18 वर्ष 2018 फसल खरीफ

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की तामील
26/7/18	पटवारी हल्का अजीतमाना की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/~~चक~~ धरनाली के खसरा नं./~~मु.नं.~~ 253 तादादी 0.50 है. बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत 2075 में नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 7-8-18 को पेश हो। तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर	नो.जा.गो. ध. रोजनामचा के पेज 129 के क्र.सं. 03 पर मांग कायम की गयी। हस्ताक्षर [illegible] 7/8/19
7/8/18	पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित गैर सायल अनुपस्थित। सम्बन्धित पटवारी से अतिक्रमण हटाने या नहीं हटाने बाबत रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली आईन्दा 30/8/18 को पेश हो।	
30/8/18	पत्रावली पेश हुई। सम्बन्धित पटवारी अजीतमाना की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट मुताबिक अतिक्रमी के द्वारा अ. [illegible] राजकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। उक्त रिपोर्ट को शामिल-	P.T.O.

Scanned by CamScanner

30/8/18

मिसल पेश किया गया। आदेश पत्र 29 का निर्णय पृष्ठ को लिया गया। [illegible] मिसल किया गया।

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 03 /2018 दिनांक: 30/8/2018.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अजीतमाना ने रिपोर्ट (पी-34) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2075 फसल खरीफ में गैर सायल धन्नाराम पुत्र नरसाराम जाति जाट साकिन धरनाली ने ग्राम धरनाली के खसरा नं0 253 रकबा 0.50 हैक्टेयर हेक्टेयर जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निमार्ण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बधिंत गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधिंत गैरसायल अनुउपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही करते हुए सम्बधिंत गैर सायल धन्नाराम पुत्र श्री नरसाराम जाति जाट साकिन धरनाली ग्राम धरनाली खसरा नं0 253 रकबा 0.50 हेक्टेयर के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा मौके से काश्त फसल को नष्ट करने व अतिकमित भुमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली व काश्त फसल को नष्ट करने तथा भुराजस्व का 50 गुणा 25/- रूपये शास्ति से दंडित किया जाता है। इस बाबत संबधिंत गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तलवान वसुली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टीआरए शाखा को लिखा जाये।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2018. को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner